UPSC Daily Current Affairs 22 Jul 2021

UNESCO ने लिवरपूल से उसका विश्व विरासत दर्जा छीना

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- कला एवं संस्कृति, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- लिवरपूल के अंग्रेजी शहर को UNESCO के **विश्व विरासत स्थलों** की सूची से हटा दिया गया है।

कारण

- इसे उस समय किया गया जब संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने यह पाया कि नया भवन, जिसमें फुटबाल स्टेडियम भी शामिल है, इसके विक्टोरियाई डॉक्स के आकर्षक को घटा रहे हैं।

लिवरपूल के बारे में जानकारी

- लिवरपूल उत्तर-पूर्व इंग्लैंड में एक समुद्रीय शहर है, जहां मर्सी नदी आयरिश समुद्र से मिलती है।
- लिवरपूल को 2004 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, जिससे यह चीन की महान दीवार और ताजमहल जैसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों के साथ शामिल हो गया था।

पूर्व में छीने गए दर्जे वाले स्थल

- **ओमान के अरेबियाई ओरिक्स अभ्यारण्य** को ऐसे पहले स्थल होने की संदिग्ध विशिष्टता हासिल है जिसे **UNESCO** के विश्व विरासत सूची से हटाया गया था।
- 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन इल्बे घाटी जब इसपर चार लेन का एक मोटरवे पुल नदी के ऊपर निर्मित किया गया था।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

विश्व विरासत स्थल के बारे में जानकारी

- UNESCO विश्व विरासत स्थल नामांकित विशिष्ट स्थान होते हैं जैसे कि वन क्षेत्र, पहाड़, झीलें, मरुस्थल, स्मारक, भवन अथवा शहर इत्यादि।
- इन स्थलों को UN और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसे UNESCO भी कहा जाता है, द्वारा मान्यता दी जाती है।
- विश्व विरासत स्थलों की सूची का रखरखाव विश्व विरासत कार्यक्रम द्वारा किया जाता है जिसका प्रशासन **UNESCO विश्व विरासत समिति** के हाथों में है।
- यह समिति UNESCO की मदद से इन स्थलों की देखरेख करती है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थानों का चुनाव और संरक्षण करना है जो विश्व संस्कृति के संदर्भ में मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- UNESCO कुछ निश्चित स्थितियों के तहत ऐसे स्थलों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

UNESCO विश्व विरासत समिति के बारे में जानकारी

- इसकी संरचना 21 UNESCO सदस्य देशों से मिलकर होती है जिन्हें UN आमसभा चुनती है।
- ये सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के महत्व के क्षेत्र होते हैं जैसा कि UNESCO विश्व विरासत संधि, 1972 में वर्णन किया गया है।

विश्व विरासत स्थलों के चुनाव के मानदंड

- इन मानदंडों की व्याख्या विश्व विरासत संधि, 1972 में की गई है।
- इन मानदंडों का नियमित रूप से विश्व विरासत समिति द्वारा संशोधन किया जाता है।
- संशोधित ऑपरेशनल दिशा-निर्देशों के पूर्व, विश्व विरासत स्थलों का चुनाव छह सांस्कृतिक और चार प्राकृतिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है।
- संशोधित ऑपरेशनल दिशा-निर्देशों के अपनाने के साथ, केवल दस मानदंडों वाला एक समुच्चय है।

विरासत स्थलों की संभावित सूचियां

- सभी देशों के लिए जरूरी होता है कि वे अपने स्थलों की संभावित सूचियों को सौंपे जिसे वे असाधारण सार्वभौमिक मूल्य के सांस्कृतिक अथवा प्राकृतिक विरासत मानते हैं और इसलिए विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए उपयुक्त हैं।
- संभावित सूची को अंतिम नहीं माना जाता है और किसी नामांकन के सौंपने के एक वर्ष पूर्व उसके सौंपने की जरूरत होती है।
- प्रत्येक दस वर्षों में देशों से यह अपेक्षा होती है कि वे अपनी संभावित सूची की पुनः जांच करके पुनः सौंपें।
- यदि कोई स्थल विश्व विरासत स्थलों में अधिसूचित है, तो इसे संभावित सूची से हटाना जरूरी होता है।

संबंधित सूचना

नोट:

- वर्तमान में, भारत में 38 विश्व विरासत संपत्तियां हैं।
- इसके अलावा, भारत में संभावित सूची के तहत अधिसूचित 42 (अब 48) स्थल हैं।
- दुनिया में इटली में सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थल हैं।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

आंध्र प्रदेश के 3 स्मारकों की "आदर्श स्मारक" के रूप में पहचान

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- कला एवं संस्कृति, स्रोत- PIB)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, आंध्र प्रदेश के तीन स्मारकों की आदर्श स्मारक के रूप में पहचान की गई।

ये तीन स्मारक हैं

a. नागार्जुनकोंडा, जिला गुंटूर में स्मारक
b. सालिहुंडम, जिला श्रीकाकुलम में बौद्ध अवशेष
c. जिला अनंतपुरम के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर

लाभ

- इन आदर्श स्मारकों ने वाई-फाई, कैफेटेरिया, इंटरप्रेटेशन केंद्र, ब्रेल संकेत, इलीम्युनेशन इत्यादि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।
- **गांडीकोटा में किले को भी पर्यटन मंत्रालय की एक विरासत अपनाओ योजना में शामिल किया गया है।**

संबंधित सूचना

एक विरासत परियोजना अपनाओ के बारे में जानकारी

- इस योजना को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर अर्थात 27 सितंबर 2017 को पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया था।
- यह पर्यटन मंत्रालय की संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के साथ करीबी सहयोग में एक प्रमुख पहल है जिसका लक्ष्य विरासत स्थलों/स्मारकों का विकास करना है और उन्हें पर्यटन हितैषी बनाकर पर्यटन महत्व और उनके सांस्कृतिक महत्व को नियोजित और चरणबद्ध तरीके से उन्नत करना है।
- परियोजना की योजना निजी क्षेत्र की कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और व्यक्तियों को विरासत स्थलों/स्मारकों और अन्य पर्यटन स्थलों को सौंपना है जिससे पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा सके।

पात्रता

- निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, न्यास, गैर सरकारी संगठन और व्यक्ति इस परियोजना के अंतर्गत विरासत स्थलों/ स्मारकों को अपनाने के लिए पात्र हैं।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

- स्थलों/स्मारकों का चुनाव पर्यटकों के आवागमन और दृश्यता के आधार पर किया जाता है और उन्हें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एवं व्यक्तियों द्वारा अपनाया जा सकता है जिसे पांच वर्षों के प्रारंभिक समय के लिए स्मारक मित्र कहा जाता है।
- स्मारक मित्रों का चुनाव देखरेख और दृष्टि समिति द्वारा की जाती है, जिसकी सह-अध्यक्षता पर्यटक सचिव और संस्कृति सचिव द्वारा की जाती है जो विरासत स्थल पर सभी सुविधाओं के विकास के लिए निविदा देने वाले की दृष्टि पर आधारित होता है।

स्मारक मित्र

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- सफल निविदाकर्ता जिन्हें देखरेख और दृष्टि समिति द्वारा विरासत स्थलों/ स्मारकों को अपनाने के लिए चुना जाता है, को **स्मारक मित्र** कहा जाएगा।
- पर्यटन गंतव्य स्थान की मूलभूत और उन्नत सुविधाएं उनके द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- वे संचालन और सुविधाओं के रखरखाव की भी देखरेख करेंगे।
- 'स्मारक मित्र' अपनी CSR गतिविधियों से गौरव को जोड़ेंगे।

मादक पदार्थों के खतरे से लड़ने के लिए भारत ने 26 समझौतों पर हस्ताक्षर किए

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन और राजनीतिशास्त्र संबंधित मामले, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- भारत ने हाल में 26 द्विपक्षीय समझौते, 15 समझौता ज्ञापन और सुरक्षा सहयोग पर दो समझौते विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित किए हैं जिनका उद्देश्य नारकोटिक्स, मादक द्रव्यों और रासायनिक पूर्ववर्तियों के अतिरिक्त नशीले पदार्थों की गैरकानूनी तस्करी के लिए खिलाफ लड़ना है।
- नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ की तस्करी से निपटने के लिए सूचना और खुफिया साझा के वास्ते विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय किया है।

इनमें शामिल हैं:

- SAARC मादक पदार्थ अपराध निगरानी डेस्क;
- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका;
- कोलंबो योजना;
- दक्षिणपूर्वी देशों का संघ;
- मादक पदार्थ मामलों पर ASEAN के वरिष्ठ अधिकारी;
- बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल;
- मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय,
- अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड

संबंधित सूचना

'भारत में मादक पदार्थों के प्रयोग का परिमाण': रिपोर्ट

- अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के राष्ट्रीय मादक पदार्थ निर्भरता उपचार केंद्र (NDDTC) ने अपनी रिपोर्ट "भारत में मादक पदार्थों का परिमाण" जिसे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री को सौंपी।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

अल्कोहल

- राष्ट्रीय स्तर पर, लगभग 14.6% लोग (10-75 आयु वर्ष के बीच) वर्तमान में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, अर्थात लगभग 16 करोड़ लोग।
- पुरुषों के मध्य महिलाओं की तुलना में इसका प्रयोग 17 गुना अधिक है।

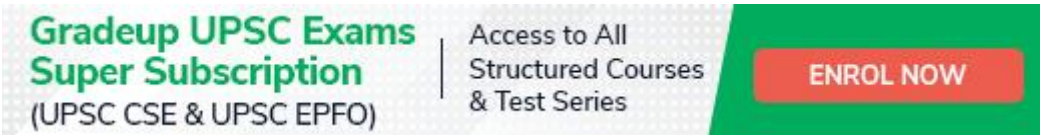

- ज्यादा अल्कोहल प्रयोग करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा शामिल हैं।

कैन्नाबीज़

- लगभग 2.8% भारतीयों (3.1 करोड़ व्यक्ति) ने पिछले 12 महीनों में किसी कैन्नाबीज़ उत्पाद का प्रयोग किया है (भांग-2% अथवा 2.2 करोड़ लोग; गांजा/चरस-1.2% अथवा 1.3 करोड़ लोग)।
- कैन्नाबीज़ का राष्ट्रीय औसत से ज्यादा प्रयोग करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली शामिल हैं।

नशीले पदार्थ

- राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे सामान्य प्रयोग किये जाने वाला नशीला पदार्थ हेरोईन है (वर्तमान प्रयोग 1.14%) जिसके बाद फार्मास्युटिकल्स नशीले पदार्थों (वर्तमान प्रयोग 0.96%) और फिर अफीम (वर्तमान प्रयोग 0.52%) का स्थान है।
- प्रभावित जनसंख्या के प्रतिशत के संदर्भ में, देश में सर्वोच्च प्रदेश उत्तरपूर्व में (मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर) साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का हैं।

शामक औषधियां और अभिश्वसन पदार्थ

- 10-75 आयु वर्ग के लगभग 1.08% भारतीय (लगभग 1.18 करोड़ लोग) वर्तमान में शामक पदार्थों (गैर-चिकित्सकीय, बिना नुख्से वाले) का प्रयोग करते हैं।
- वर्तमान में शामक पदार्थों का ज्यादा प्रयोग करने वाले राज्यों में सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं। लेकिन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और गुजरात वे पांच सर्वोच्च राज्य हैं जहां शामक पदार्थ प्रयोग करने वालों की सबसे बड़ी जनसंख्या है।

अन्य श्रेणियां

- कोकीन (0.10%), एम्फेटामाइन प्रकार की उत्तेजक औषधियां (0.18%) और हेलूसिनोजेंस (0.12%) वे श्रेणियां हैं जिनका प्रयोग भारत में सबसे कम होता है।

मादक पदार्थों की लत से निपटने के लिए सरकार की पहल

स्वापक औऱ मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, (NDPS) 1985

- यह किसी नारकोटिक पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ के उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण, और/अथवा उपभोग करने से किसी व्यक्ति को निषेध करता है।
- NDPS अधिनियम तबसे तीन बार संशोधित किया जा चुका है- 1988, 2001 और 2014 में।
- अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है और यह सभी भारतीय नागरिकों जो भारत के बाहर भी निवास करते हैं, पर लागू होता है। साथ ही यह भारत में पंजीकृत समुद्री जहाजों और वायुयानों पर भी लागू होता है।

NCORD

- विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के मध्य समन्वय के लिए, नार्कों समन्वयन केंद्र (NCORD) तंत्र की स्थापना 2016 में प्रभावी मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन के लिए गृह मामले के मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- इस NCORD प्रणाली की जुलाई 29 को बेहतर समन्वय के लिए चार स्तरीय योजना में पुनर्संरचना की गई है जो जिला स्तर तक जाती है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

SIMS' (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली)

- अखिल भारतीय मादक पदार्थ जब्ती आंकड़े के डिजिटिलीकरण के लिए, गृह मंत्रालय ने SIMS (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली) कहलाने वाले ई-पोर्टल को 2019 में शुरू किया है। यह नारकोटिक्स मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NPDS) के शासनादेश के तहत सभी औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए है।

'सनराइज़ परियोजना'

- इसे 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य भारत के उत्तर-पूर्व राज्यों में बढ़ते एचआईवी मामलों से निपटना था, विशेष रूप से मादक पदार्थ का इंजेक्शन लगवाने वाले लोगों के मध्य।
- सरकार ने 'नशामुक्त भारत' अथवा ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन की शुरुआत की घोषणा भी की है, जो सामुदायिक पहुँच कार्यक्रमों पर केंद्रित है।

वैश्विक पहल

भारत नशीले पदार्थों के संकट से निपटने के लिए निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों का हस्ताक्षरकर्ता है:

a. नारकोटिक्स मादक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (1961)
b. मनःप्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (1971)
c. नारकोटिक्स नशीले पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों में गैरकानूनी तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि (1988)
d. अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि (UNTOC) 2000

SMILE – जीवनयापन और उद्यम योजना के लिए वंचित तबके के व्यक्तियों के वास्ते समर्थन

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- कमजोर वर्गों के लिए योजना, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने एक योजना "SMILE- जीवनयापन और उद्यम के लिए वंचित तबके के व्यक्तियों के वास्ते समर्थन" योजना का निर्माण किया है।

SMILE योजना के बारे में जानकारी

- इसमें शामिल है उपयोजना- **भीख मांगने के काम में लगे हुए व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना।**

मुख्य ध्यान

- इस योजना का मुख्य जोर पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, काउंसलिंग, मूलभूत दस्तावेजीकरण, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक जुड़ाव और इसी तरह की चीजों पर है।
- इस योजना का क्रियान्वयन राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (CBOs), संस्थानों और अन्य के समर्थन से किया जाएगा।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- यह योजना भीख मांगने के काम लगे हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध वर्तमान शरणस्थलों के प्रयोग की बात करती है।
- वर्तमान शरणस्थलों की अनुपलब्धता की स्थिति में, नए समर्पित शरणघरों को क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा स्थापित किया जाना है।

IBBI ने पारदर्शिता में सुधार को मदद के लिए दीवालिया नियमों को संशोधित किया

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता संहिता विनियमन (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दीवाला निपटारा प्रक्रिया) को संशोधित किया है।

खबरों में और भी है

- इन संशोधनों का लक्ष्य कार्पोरेट दीवाला प्रक्रियाओं में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को उन्नत करना था।

प्रभावी निगरानी के लिए

- निपटारा करने वाला पेशेवर अपने कर्तव्य से बंधा है कि वह यह जाने कि एक कार्पोरेट देनदार क्या बचाव लेनदेनों से दो चार हुआ है, नामतः प्राथमिकता वाले लेनदेन, कम मूल्य वाले लेनदेन, जबर्दस्ती ऋण लेनदेन, जालसाजी वाली ट्रेडिंग और गलत ट्रेडिंग और क्या उसने आवेदन देकर निर्णयन प्राधिकरण से उपयुक्त राहत मांगी है।
- यह न केवल ऐसे लेनदेन में डूबे हुए मूल्य को कर लगाकर वसूली कर लेता है जिससे निपटारा योजना के द्वारा कार्पोरेट देनदार के पुनर्गठन की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही ऐसे लेनदेश पर दंडात्मक कार्रवाई करके कार्पोरेट देनदार पर दबाव को रोकते हैं।
- प्रभावी निगरानी के लिए, संशोधन अपेक्षा करते हैं कि निपटारा करने वाले पेशेवर (IRP) बोर्ड के इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर फार्म CIRP 8 को दायर करें, जिसमें बचाव वाले लेनदेन के संदर्भ में अपने विचार और निर्धारण के विवरण की नकल करे।

भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के बारे में जानकारी

- यह देश में दीवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं के लिए एक विनियमन प्राधिकरण है।
- यह दीवाला पेशेवर एजेंसी (IPA), दीवाला पेशेवर (IP) और सूचना उपयोगियता (IU), पंजीकृत वैल्यूयर, और पंजीकृत वैल्यूयर संगठनों जैसे निकायों की गतिविधियों पर नजर रखता है।
- **इसकी स्थापना दीवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।**
- IBBI कार्पोरेट IBC के तहत दीवाला निपटारा प्रक्रिया, व्यक्तिगत दीवाला, कार्पोरेट परिसमापन और व्यक्तिगत दीवाला को प्रशासित करने वाले नियमों को बनाता और क्रियान्वित करता है।
- यह IBC के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका अदा करता है जो कार्पोरेटों, व्यक्तियों और साझीदारों के पुनर्गठन निपटारा प्रक्रिया और दीवाला को क्रियान्वित करती है। यह सभी हितधारकों के लिए समयबद्ध तरीके से होता है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- IBBI इस मामले में विनियामक है कि यह पेशा और प्रक्रिया दोनों को ही विनियमित करता है।

आगे पढ़ाई: दीवाला एवं शमन अक्षमता संहिता, 2016 और दीवाला और शमन अक्षमता संहिता अध्यादेश 2020

AMLEX

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- भारतीय तकनीक संस्थान, (IIT रोपड़) के वैज्ञानिकों ने हाल में देश में अपने प्रकार के पहले ऑक्सीजन राशनिंग करने वाले उपकरण "AMLEX" का विकास किया है जो किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की आयु तीन गुनी बढ़ा देगा।

AMLEX के बारे में जानकारी

- यह एक प्रणाली है जिसका विकास विशेष रूप से ऑक्सीजन सिलेंडरों के ऑक्सीजन प्रवाह को रोगी के सांस अंदर करने और बाहर फेंकने के साथ समक्रमिक बनाने के लिए किया गया है, जिससे लंबी अवधि के संचालन के लिए ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा को संरक्षित किया जा सकेगा।

महत्व

Gradeup UPSC Exams Super Subscription
(UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

- सांस अंदर करने के दौरान यह रोगी को ऑक्सीजन की जरूरी मात्रा की आपूर्ति करता है और उस समय बंद हो जाता है जब रोगी कार्बन डाईऑक्साइड को बाहर फेंक रहा होता है, इस समय यह ऑक्सीजन के प्रवाह की बचत करता है।
- यह ऑक्सीजन के अपव्यय को घटाने में मदद करता है क्योंकि पूर्व में बाहर सांस फेंकने के दौरान, ऑक्सीजन सिलेंडर/पाइप में ऑक्सीजन प्रयोगकर्ता द्वारा बाहर फेंकी गई कार्बन डाईऑक्साइड के साथ बाहर निकाल दी जाती थी।
- इससे दीर्घावधि में ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का अपव्यय होता था।

आकाश NG हथियार प्रणाली

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की नई पीढ़ी का ओडीशा तट के एकीकृत परीक्षण रेंज से DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
- DRDO ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली **मानववाहित एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल** का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे सेना के लिए उसके उत्पादन का रास्ता प्रशस्त हो गया।

महत्व

- एक बार तैनात होने पर, आकाश NG हथियार प्रणाली IAF की वायु रक्षा क्षमता के लिए बलवर्धक साबित होगी।
- आकाश मिसाइल का नया रूप (आकाश NG) मूल वर्जन से कुछ बेहतर रेंज वाला है जो लगभग 25 किमी. की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेद सकता है।

आकाश NG मिसाइल के बारे में जानकारी

- यह मध्यम दूरी वाली मोबाइल सतह से सतह तक मार करने वाली वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, DRDO ने विकसित किया है और मिसाइल प्रणाली के लिए इसका भारत डाइनामिक्स लि. ने उत्पादन किया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription
(UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

- यह हवाई लक्ष्यों लड़ाकू जेटों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय कर सकती है।
- इसे भारतीय थलसेना और वायुसेना में संचालन सेवा के रूप में तैनात किया गया है।

आकाश मिसाइलों के रूप

आकाश 1S

- इस मिसाइल की मारक दूरी 30 किमी. है और यह 60 किग्रा. के वारहेड को ले जाने में सक्षम है।

मार्क II

- इसकी अवरोधन दूरी 40 किमी. की है और मिसाइल गाइडेंस प्रणाली के लिए इसकी सटीकता में वृद्धि की गई है।

आकाश NG

- इस मिसाइल की मारक क्षमता 80 किमी. है और इसमें एक सक्रिय इलेक्ट्रानिक तरीके से स्कैंड एर्री मल्टी फंक्शन रडार (MFR) और ऑप्टिकल प्रोक्जीमिटी फ्यूज़ प्रणाली है।

मानव वाहित एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल (MPATGM) के बारे में जानकारी

- यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल (ATGM) है जिसे स्वदेशी रूप से DRDO ने विकसित किया है।
- इसकी मारक क्षमता 2.5 किमी. की है।
- इसे कंधे पर रखकर दागा जा सकता है और दिन और रात में प्रयोग किया जा सकता है।
- इसका न्यूनतम पार्श्व केंद्र और गुरुत्व संतुलन होता है।
- यह दागो और भूलो के सिद्धांत पर कार्य करता है और अपनी टॉप हमले की क्षमता के लिए जाना जाता है।
- यह स्थिर और गतिमान दोनों तरह के लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी है।
- इसकी तैनाती भारतीय थलसेना की पैदल और पैराशूट बटालियनों में की जाएगी।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW